भारत का राजपत्र : सितम्बर 17, 2005/भाद्र 26, 1927

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2005

सा. का. नि. 318.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नागरिक पूर्ति विभाग में निदेशक (सहकारिता), उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1984 को जहां तक उनका संबंध उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद से है, ऐसी बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी–II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II के भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि. — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरईता.--- वह व्यक्ति,---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

माग [i-खण्ड 3(i)]

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

ó. च्यापृति.— इन नियमों की कोई जात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाप नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

	3	ानुसूची	And a second second
पद का नाम पदों की संख्या	वर्गीकरण वेर	ानमान चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
2	3	4 5	6
उप निदेशक : 02*(2005)	साधारण केन्द्रीय 10	0,000-325- चयन	लागू नहीं होता
(सहकारिता) *(कार्यभार के		5,200 रुपए	
आधार पर	राजपत्रित,	- 1	
परिवर्तन किया	अननुसचिवीय		
जा सकता है।)			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने व	ले सीधे भर्ती किए जाने वा	ले परिवीक्षा की अवधि,
व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	व्यक्तियों के लिए अपेक्षि	त व्यक्तियों के लिए विहित आ	यु यदि कोई हो
	शैक्षिक और अन्य अर्हता	एं और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन	नत
		व्यक्तियों की दशा में लागू ह	
		या नहीं	
7	. 8	9	10
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता.	लागू नहीं होता

1257

1258

THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 17, 2005/BHADRA 26, 1927:

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

11

 (i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); और

 (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति की जाएगी

12

PART

प्रोन्नति :- 8000-13500 रुपए के वेतनमान में ऐसा सहायक निदेशे (सहकारिता) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, अर्द्धशासी, कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-275-13500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; या

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :-- आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर डिग्री या समतुल्य;
 वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सहकारिता में डिप्लोमा या समतुल्य। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

टिप्प्ण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरच	11			किन परिस्थितियों ामर्श किया जाएगा	and the second
13		· .	÷	14	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	त के संबंध मे	विचार	किसी अधिव	गरी को प्रतिनियुक्ति	त (जिसके अंतर्गत
करने के लिए) :			अल्पकालिक	संविदा भी है) प	(नियुक्त करते समय
1. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशासन)	· · ·	अध्यक्ष	और इन नियम	ों के किसी उपबंध	का संशोधन/शिथिली-
2. निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)		-सदस्य			वा आयोग से परामर्श
 निदेशक (सहकारिता) या समतुल्य 		-सदस्य	करना आवश्य		

. /		, ÷					242
-/ .	· · ·						MI
· · · ·							1 . 1 .
मा—खण्ड 3(i)]		भारत का राजपत्र	सितम्बर 17, 2005/भार 2	6, 1927		1259	÷
	2	3	4	5	6	· · · ·	
. सहायक निदेशक सहकारिता)	03* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्री सेवा, समूह !व राजपत्रित, अननुसचिवीय		चयन	लागू नहीं	होता	•
					•		
7.		. 8	9	· · ·	10	:	•
नहीं		लागू नहीं होता	लागू नहीं ह	ोता	1. प्रोन्नत दो वर्ष	व्यक्तियों के लिए ।	
		•	· · · · · · ·			and the sea	
11				12		ter inte	·4·.
?) 33.33% प्रतिनि अल्पकालिक सौ	युक्ति द्वारा (जिसके वेदा भी है)।		तकनीकी सहायक श्रेणी I व श्रेणी-II में नियमित आठ टिप्पण : जहां ऐसे कनिष सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्न व्यक्तियों के संबंध में भी वि	वर्ष सम्मिलित सेवा छ व्यक्तियों के संब ति के लिए विचार वेचार किया जाएगा	की हो। ध में जिन्होंने अग किया जा रहा हो परन्तु यह तब जब	पनी अर्हक/पात्रता वहां उनसे ज्येष्ठ कि उनके द्वारा की	
			गई ऐसी अर्हक/पात्रता से अधिक से या दो वर्ष से, इ कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जि अगली ठच्चतर श्रेणी में प्रो पूरी कर ली हो।	नमें से जो भी कम ह जन्होंने ऐसी अर्हक/	गे, कम न हो और पात्रता सेवा पहले	उन्होंने अपने ऐसे ही पूरी कर ली है,	
			प्रतिनियुक्ति (जिसके अंत	र्गत अल्पकालिक स	विदा भी है) :		
	- 20 14		केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ या स्वायत्त संगठनों के ऐसे		ह क्षेत्र के उपक्रमों,	अर्द्धशासी, कानूनी	
			(क)(i) जो मूल काडर/ हैं; या	विभाग में नियमित	आधार पर सदृश प	ाद धारण किए हुए	, N
			(ii) जिन्होंने मूल के वेतनमान में नि वर्ष की सेवा की है		नयुक्ति के पश्चात्	्उस श्रेणी में तीन	
			वेतनमान में, निर्या की नियमित सेवा		वेत के पश्चात् उस	। श्रेणी में आठ वर्ष	
			(ख) जिनके पास निम्न	लिखित शैक्षिक अर्ह	ता और अनुभव है	t:-	
		·	आवश्यकः				
1	8. 8.		(i) किसी मान्यताप्राप	विश्वविद्यालय/संर	त्थान से मास्टर डि	ग्री या समतुल्य;	
			वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्व	वद्यालय/संस्थान से	सहकारिता में डिप	लोमा या समतुल्य।	1 . 4
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नि प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	के ऐसे विभागीय अ यक्ति के लिए विच	रधिकारी, जो प्रोन्न ार किए जाने के प	ति की सीधी पंक्ति 1त्र नहीं होंगे। इसी	

4	11	·.			12	.)
•			•	अवधि, जिसके अंत इस नियुक्ति से ठीव	नियुक्ति (जिसके अंतर्ग र्गत केन्द्रीय सरकार के र पहले धारित किसी अ न्यकालिक संविदा भी है ।]	सी या किसी अन्य से न्य काडर बाह्य पट प
				टिप्प्ण 3 : प्रतिनिर्या के लिए अधिकतम से अधिक नहीं होगी	क्त पर नियुक्ति (जिसके भायु सीमा आवेदन प्राप ।	अंतर्गत अल्पकालिक 1 करने की अंतिम तार्र
		• ••				
		13		· · · ·	•	14
	करने के लिए): 1. अध्यक्ष/सदस् 2. अपा/संयुक्त	य—संघ लोक सेवा अ सचिव (प्रशासन) हकारिता) या समतुल्य	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अध्यक्ष सदस्य सदस्य	अल्पकालिक संवि और इन नियमों के वि	गे प्रतिनियुक्ति (जिसते दा भी है) पर नियुक्त केसी उपबंध का संशोध संघ लोक सेवा आयोग ।
		• • • •				······
	, 1	2	3	. 4	5	. 6
	3. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-Ⅲ	02 * (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175- 9000 रुपए	लागू नहीं होता।	45 वर्ष से अधिक न सरकार द्वारा जारी जि अनुदेशों या आदेशों सरकारी सेवकों के तक शिथिल की जा
			//			टिप्पण : आयु-सं करने के लिए नि भारत में अभ्यधियों न करने के लिए नियत तारीख होगी (न f
						तारीख जो अस अरूणाचल प्रदेश मणिपुर, नागाल सिक्किम, जम्म्यू-क लद्दाख खंड, हिमा
						लाहोल और स्पीति जिले के पांगी उपखर निकोबार द्वीप या अभ्यर्थियों के लिए
		······				है)।
	· · · · · ·	• •		* A	·	
	7		. 8 .		9	10
	लागू नहीं होता		श् यक : किसी मान्यताप्राप्त वि	श्वविद्यालय/ ातुल्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

and the second second

...

٠.

ग [[-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : सितम्बर 17, 2005/भाद्र 26, 1927

1261 .

. 22

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथिा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

8

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड /संस्थान से सहकारिता में डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सर्केगी :---

(क) (i) जो मूल कॉडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

> (ii) जिन्होंने मूल कॉडर/विभाग में 5000-8000 रुपए के या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित अईताएं और अनुभव हैं।

•.:	11			x 2		12		
तीधी	भर्ती द्वारा।	· .	· · ·		लागू न	हीं होता।	· · ·	
۰.	, the second	13 .				· · ·	14.	· /
1112	'ख' विभा	गीय प्रोन्नति	समिति (प्रोन	नति के संबंध में	विचार	इन नियमों के किर		
146	~							
	के लिए):			5	a nga tinta ta	करते समय संघ ल	तेक सेवा आयोग	से परामर्श करना
	के लिए):		नतुल्य (स्थाप	ना)	— अध्यक्ष	करते समय संघ ल आवश्यक है ।	गेक सेवा आयोग	से परामर्श करना
	के लिए): निदेशक/उप	सचिव या सग	नतुल्य (स्थाप समतुल्य अधि		—अध्यक्ष —सदस्य	10 K 10 K	गेक सेवा आयोग	से परामर्श करना

[सं. ए-12011/4/2001-प्रशा.] एस.के. नायक, अवर सचिव

THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 17, 2005/BHADRA 26, 1927

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 31st August, 2005

G.S.R. 318.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constisupersession of the Ministry of Food and Civil Supplies, Department of Civil Supplies, Director (Co-operation), Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Recruitment Rule so far as they relate to the posts of Deputy Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Technical Assistant are concerned except as respects things done or omitted to be done before such superse. President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade II in the Ministry of C Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, I
Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Co-orperation), Assistant Director (Co-orp
and Senior Technical Assistant Grade II Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification : scale of pay attached thereto, shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rui

3. Method of recruitment, age limit and other educational qualifications, etc.—The method of recruitm the said Posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 said Schedule.

4. Disgualification,-No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to a it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relation of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman a other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time this regard.

SCHEDULE

Classification Name of the post Number of post 3 1 2 1. Deputy Director 7* General Central Services, Group'A Gazetted, Non-Ministerial (Co-operation) (2005)*Subject to variation dependent on workload. Age limit for direct recruits Scale of pay Whether selection or non-selection post 4 5 6 10000-325-15200 Selection Not applicable

		· Oy	146
	÷		1.7.4
्या [[:खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : सिर	तम्बर 17, 2005/भाइ 26, 1927 1263	н., · .
Whether benefit of ad ervice admissible und he Central Civil Servic Rules, 1972	der rule 30 of required for dir	nd other qualifications Whether age and educational qualifi- rect recruits will apply in the case of promotees	i i La com
7		8 9	
No	Not a	applicable Not applicable	
Period of probation, f any	Method of recruitment, whether by direct recruit- ment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	
10	11	12	• •••
lot applicable	(1) 50% by Promotion, failing which by deputation (including short term contract); and (ii) 50% by Deputation (including short term contract)	 Assistant Director (Co-operation) in the scale of pay of Rs. 8000—13500 with five years regular service in the grade. Note: Where juniors, who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation Period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. 	
		Deputation (including short term contract) : Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Govern- ment Statutory or Autonomous organizations :	1.
÷. • • •		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or	
		 (ii) with five years service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the pay scale of Rs. 8000-275-13500; or equivalent in the parent Cadre/Department; and 	
		(b) possessing the following educational qualifications and experience :	
		Essential :	а х
		(1) Master 's Degree of a recognized University/Institute or equivalent;	
		(ii) Five years experience in a supervisory capacity in the field of Co-operation/Civil Supplies/Consumer Organization/Public Distribution and/or allied filed in a Government or Co-operative organization.	
		Desirable: Diploma in Co-operation from a recognized Board/ Institute or equivalent.	· · · ·
		Note 1: The Departmental Officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, will not eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

÷			. *	(7)	~ ~	• 1. •
			-			
1264	THE GAZI	ETTE OF INDIA :	SEPTEMBER 17	, 2005/BHADRA	12	[Part]]
			Note	2: Period of de	putation (includin	ng short term co
				including per contract) in	another ex-cadre	(including sho post held imme
· · · ·				organization	is appointment in department of the rily not exceed for	e Central Gover
* 2			Note	3: The maxim deputation(i	num age limit including short te	for appointme rm contract) sl
·			· · · ·	receipt of ap	ng 56 years as o plications	n the closing c
· .					· ·	141
If a Departme	ntal Promotion C	Committee exists, W	Vhat is its compos	1	Circumstances in Service Comm consulted in making	nission is t
	· · 13 · ·		· · · · · ·		. 14	
(Adminis 2. Director/	al/Joint Secretary tration) Deputy Secretary		—Chairm —Membe	ar j	ing an officer on c short term contract relaxation of any) and for amend
(Adminis 3. Director (tration)		-Membe	-	Rules.	
			Membe	-	Kules.	· · · · ·
3. Director (tration) Co-operation)	2	—Membe	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
3. Director (tration) Co-operation) Director 3* on) (2005	· · . · .		ar 3 General C Non-Mini	entral Services, G	roup 'A' Gazette
3. Director (1 2. Assistant D	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005). ject to variation de		ar General C Non-Mini Ioad.	entral Services, G	
3. Director (1 2. Assistant D (Cooperation) 4	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005 *Sub). ject to variation de 5.	ependent on work	ar General C Non-Mini Ioad. 6.	entral Services, G sterial	7.
3. Director (1 2. Assistant D	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005 *Sub). ject to variation de	ependent on work	ar General C Non-Mini Ioad.	entral Services, G sterial	
3. Director (1 2. Assistant D (Cooperation) 4	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005 *Sub 3500). ject to variation de 5.	ependent on work	ar General C Non-Mini Ioad. 6.	entral Services, G sterial	7.
3. Director (1 2. Assistant D (Cooperation 4 Rs. 8000-275-1	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005 *Sub 3500) ject to variation de 5. Selection	ependent on work	ar General C Non-Mini Ioad. 6.	entral Services, G sterial	7. No 10
3. Director (1 2. Assistant D (Cooperation 4 Rs. 8000-275-1 8	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005 *Sub 3500) ject to variation de 5. Selection	ependent on work No	ar General C Non-Mini Ioad. 6.	entral Services, G sterial	7. No
3. Director (1 1 2. Assistant D (Cooperation) (Cooperation) 4 Rs. 8000-275-1 8 Not applicable 1 (i) 66.67% by I tation (including) 1	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005 *Sub 3500 11 Promotion, failing ng short term cor) ject to variation de 5. Selection Not	Promotion : Senior Tech 10500 with in the grade of Rs. 6500-	ar General C Non-Mini load. 6. t Applicable nical Assistant C hree years regul nt Grade I with o s of Senior Tech	entral Services, G sterial	7. No 10 s for promotees scale of Rs. 650 rade or Senior T ars of regular ser ade I in the pay
3. Director (1 1 2. Assistant D (Cooperation) 4 Rs. 8000-275-1 8 Not applicable (i) 66.67% by I tation (includit) (ii) 33.33% by	tration) Co-operation) Director 3* on) (2005 *Sub 3500 11 Promotion, failing ng short term cor) ject to variation de 5. Selection Not gwhich by depu- ntract);	9 applicable Promotion : Senior Tech 10500 with nical Assita in the grade of Rs. 6500- scale of Rs. 5 Note : Wh elin the not by	a General C Non-Mini load. 6. 6. 6. 7 Applicable 6. 7 Applicable 7 App	entral Services, G sterial Two year 12 Grade-I in the pay ar service in the g combined eight year nical Assistant Gr	7. No 10 s for promotees scale of Rs. 650 rade or Senior T ars of regular ser ade I in the pay nt Grade-II in the d their qualifyi red for promoti I provided they yeligibility service

.

6.V

A SALE MARY AND A

i

ৰণ্ড 3(i)]

12 Deputation (including short term contract) :

Officers of the Central Government/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government Statutory or Autonomous Organizations :---

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/ Department; or

1265

- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500; or equivalent in the parent Cadre/ Department; or
- (iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 5500-175-9000; or equivalent in the parent Cadre/ Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :---

Essential:

- Master's Degree of a recognized University/Institute or equivalent;
- (ii) Three years experience in a supervisory capacity in the field of Co-operation/Civil Supplies/Consumer Organization/ Public Distribution and/or allied filed in a Government or Cooperative Organization.

Desirable : Diploma in Co-operation from a recognized University/Institute or equivalent.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

						·
	13				. 14	
1.	Group 'A' Departmental Promotion Comm (for considering promtion) : Chairman/Member, Union Public Service Commission Additional/Joint Secretary	uittee —Chairman —Member		Commis ment to for ame	ssion is necess the post on ea nding/relaxation	on Public Service ary for appoint- ch occasion and on any provision
3.	(Administration) Director (Co-operation)	-Member	. · ·	of these	ruics.	

(77)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-0



The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

> साप्ताहिक WEEKLY

तं	i. 21]	नई दिल्ली, मई 15मई 21	, 2011	, शनिवार/वैशाख 25-वैशाख 31, 1933

No. 21] NEW DELHI, MAY 15-MAY 21, 2011, SATURDAY/VAISAKHA 25-VAISAKHA 31, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

-भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विश्राग)

नई दिल्ली, 9 द्रिप्तम्बर, 2010

सा.का.नि. 151.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (भ्रतीं) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1/(1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सिवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये नियम जनवरी, 2011 की प्रथम तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियगावली, 1954 में, नियम 9, उप-नियम (2) में, दिनांक ''31 दिसम्बर, 2010'' के स्थान पर दिनांक ''31 दिसम्बर, 2013'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1640 GI/2011

(589)

[भाग II-खण्ड 3(i)]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी–II भर्ती नियम, 2005 जो भारत के रापजत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17 सितंबर, 2005 में सा.का.नि. संख्यांक 318 तारीख 31 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) (संशोधन) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

 उपभोक्ता मामले विभांग [उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

- क्रमसंख्यांक 1 के सामने, उपनिदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 4 में,
 - (i) शीर्षक के स्थान पर ''वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान'' शीर्षक रखा जाएगा ।
 - (ii) प्रविष्टि के स्थान पर ''15600-39100 रु.
 (वे.बै.-3) धन ग्रेड वेतन 6600'' प्रविष्टि रखी जाएगी।
- (2) क्रमसंख्यांक 2 के सामने, सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 4 में,
 - (i) शीर्षक के स्थान पर ''वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान'' शीर्षक रखा जाएगा ।
 - (ii) प्रविष्टि के स्थान पर ''15600-39100 रु.
 (वे.बै.-3) धन ग्रेड वेतन 5400 रु.'' प्रविष्टि रखी जाएगी।
- (3) क्रमसंख्यांक 1 के सामने, उपनिदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 12 में,
 - (i) शब्द अक्षर और अंक ''8000-13500 रुपये के वेतनमान में'' जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर वेतनबैंड-3, 15600-39100 रु. (वे.बैं.-3) धन ग्रेड वेतन 5400 रु.'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- (4) क्रमसंख्यांक 2 के सामने, सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद से संबोधित स्तंभ 12 में,
 - (ii) ''6500-10500 रु. और 5500-9000 रु. के वेतन में'' शब्द अंक और अक्षर जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर ''वेतनबैंड 9300-34800

(वे.बैं.-2) धन ग्रेड वेतन 4600 रु.'' और वेतन बैंड 9300-34800 रु. (वे.बैं.-2) धन ग्रेड वेतन 4200 रु.'' रु. शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12011/4/2001-स्था.] ओम प्रकाश, उप सचिव

621

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17 सितंबर, 2005 में सा.का.नि. संख्यांक 318 तारीख 31 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गए ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 16th May, 2011

GS.R. 157.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade-II Recruitment Rules, 2005 published in the Gazette of India dated the 17th September, 2005, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide GS.R. number 318 dated the 31st August, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs [Deputy Director (Cooperation) and Assistant Director (Co-operation)] Amendment Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Consumer Affairs [Deputy Director (Co-operation) and Assistant Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2005, the following shall be substituted, namely :--

- (1) Against serial number 1, relating to the post of Deputy Director (Co-operation), in column 4,
 - (i) for the heading, the heading "Pay Band and Grade Pay/Pay Scale" shall be substituted;
 - (ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs.6600" shall be substituted.
- (2) Against serial number 2, relating to the post of Assistant Director (Co-operation), in column 4,
 - (i) for the heading, the heading "Pay Band and Grade Pay/Pay Scale" shall be substituted;
 - (ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5400" shall be substituted.

1640 GI/11-9

THE GAZETTE OF INDIA: MAY 21, 2011/VAISAKHA 31, 1933

- (3) Against serial number 1, relating to the post of Deputy Director (Co-operation), in column 12,
 - (i) for the words letters and figures "in the Pay Scale of Rs. 8000—13500", wherever they occur, the words and figures "Pay Band of Rs.15600—39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5400", shall be substituted.
- (4) Against serial number 2, relating to the post of Assistant Director (Co-operation), in column 12,
 - (ii) for the words letters and figures "in the Pay Scale of Rs.6500—10500 and Rs. 5500—9000", wherever they occur, the words and figures "Pay Band of Rs. 9300—34800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4600" and "Pay Band of Rs. 9300—34800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4200", shall be substituted.

[F. No. A-12011/4/2001-Estt.] OM PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated 17th September, 2005, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 318, dated the 31st August, 2005.

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातु :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, विभाग
 [निदेशक (सहकारिता)] शर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

 उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में,—

> (i) क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

 4. ''वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : वेतनबैंड-3, 15600—39100 धन ग्रेड वेतन 7600 रु.''

> (ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, प्रोन्नति शीर्षक के अधीन और प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन 12
> (क) (ii) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

12. प्रोन्नति :

"15600-39100 रुपए के चेतन बैंड-3 और 6600 रु. के ग्रेड वेतन में ऐसे डप्पनिदेशक (सहकारिता) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष लियमित सेवा की है।"

प्रतिनियुक्ति (अल्कालिक संविदा सहित) :

(क) (ii) जिन्होंने मूल काडर विभाग में 15600—39100 रुपए के वेतन बैंड 3 और 6600 रुपये ग्रेड वेतन या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

> [फा. सं. ए-12011/4/2001-स्था.] ओम प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम, 20 सितंबर, 2003 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 337 तारीख, 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

New Delhi, the 16th May, 2011

G.S.R. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Consumer Affairs [Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [(Director (Cooperation)] Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

 In the Schedule to the Department of Consumer Affairs [Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2003,—

> (i) For serial number 4 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

4. "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale : Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs.7600".

> (ii) Against serial number 12 under heading of promotion and 12 (a) (ii) under heading of deputation, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :---

12. Promotion :

"Deputy Director (Co-operation) in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade".

Deputation (including short-term contract):

(a) (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/Department; and

[F. No. A-12011/4/2001-Estt.]

OM PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated the 20th September, 2003 vide number G.S.R. 337, dated the 12th September, 2003.

नि उ